II-231
C.J.(H)

गवाह की गिरफ्तारी का वारन्ट

(सिविल प्रोसीजर कोड, सन् 1908 ई., आर्डर 16)

दीवानी मुकदमा नम्बर

अदालत जनाब ---

--- मुद्दई

--- मुद्दालेह

बनाम बेलिफ अदालत

जो कि गवाह ---

समन्स का हुक्म नहीं माना है

ने कायदेनुसार तामिल किये हुए --- इस लेख के जरिये तुम्हे

समन्स टालने के लिये छिपता रहता है

हुक्म दिया जाता है कि तुम उपर लिखें --को गिरफ्तार करो और अदालत के सामने हाजिर करो और यह भी हुक्म दिया जाता है कि तुम इस वारन्ट पर उसकी तामिली किस दिन और किस तरह की गई या तामिली न की गई हो तो उसका सबब लिखकर तारीख ------------------ माह ------------------सन् 20 को या उसके पहले वापिस करो, हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज तारीख ------------------ माह ------------------सन 20 को जारी किया गया.

(मोहर) जज

V-137
Cr. J.(H)

गिरफ्तारी वारंट

(क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सन् 1898 ई. दफा 75 और 76)

अदालत ---------------------------------मजिस्ट्रेट --------------------------- दर्जा ------------------

बनाम ---

जोकि -------------------------------------- वल्द --

जाति -----------------------------------साकिन -------------------------- पर ----------------------

जुल्म का इल्जाम लगाया है कि–

इस तहरीर के जरिये हुक्म दिया जाता है कि उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो,

अगर वह अपनी ओर से रूपये ---------------------- का मुचलका लिखकर एक जामिन / दो जामिनों में से हर एक ---------------------

की रूपये --की जमानत इस बात की दे कि वह हमारे सामने तारीख

---------------------माह --------------------सन् 20 ई. को हाजिर होगा और जब तक कि हम हाजिरी से माफ न कर दें.

तब तक ही इस तरह होता रहेगा तो उसे छोड़ दो ऐसा करने के न चूको.

हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज तारीख..............................माह..............................सन् 20 को जारी किया गया.

मोहर **मजिस्ट्रेट**

अगर जमानत मंजूर करना न हो तो इस हिस्से को काट दीजिये.

सबब बताने के लिए नोटिस

(मामूली नमूना)

अदालत जनाब...

दीवानी मुकदमा
ज्यूडिशियल केस
मिसलेनियस अपील
नम्बर सन् 20

....बनाम ....

बनाम...

क्योकि..

उपर लिखित मुकदमें के ....

....

इस अदालत की दरख्वास्त की है कि ....

....

....

इसलिये तुम्हे नोटिस दिया जाता है कि तुम खुद या मार्फ्त किसी वकील के जिसे मुकदमें के हाल अच्छी तरह समझा दिया गया हो तारीख ....माह ....सन् 20 को दिन के 11 बजे इस अदालत में हाजिर होकर दरख्वास्त के खिलाफ सबब बतलाओ नहीं तो उसकी तुम्हारी गैर हाजिरी में सुनवाई होकर फैसला किया जावेगा.

इस अदालत की मोहर से आज तारीख ....माह................................सन् 20 को जारी किया गया.

मोहर

जज

V-153
Cr.J. (H)

जेल वापिस भेजने बाबत वारन्ट
(क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सन् 1898 दफा 344)

अदालत साहब...मुकाम..

बनाम सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब, जेल मुकाम..

जोकि ....

....उमर ....साल,

जात...पेशा ....

पता ....है

मामले में जिस पर जुर्म दफा ....लगाया गया है

आज हुक्म हुआ है कि वह मामला तारीख ....माह......................... सन् 20

ईसवी तक मुल्तबी रखा जाय।

इसलिये तुमको इस तहरीर के जरिये हुक्म दिया जाता है कि तुम मुलजिम मजकूर को अपनी हिरासत में रखो और उसको उपर लिखी हुई तारीख पर इस अदालत में हाजिर करो।

आज तारीख ....माह......................................सन् 20.......... ई.

मोहर

मजिस्ट्रेट

LIST OF DOCUMENTS ADMITTED IN EVIDENCE FOR PLAINTIFF / DEFENDANT

Distinguishing Mark (1)	Description of documents (2)	Date of admission (3)	Remarks (4)

Witness No...................................for ....Deposition taken this ....day of ....20 Witness's apparentage ....States on affirmation/My name is...
Son of ....Occupation....................................
address...

गवाह नम्बर..की ....तरफ से शहादत आज तारीख ....माह...................सन्............................ई. को ली गई। गवाह करीब..................................साल की उम्र का मालूम होता है।

हलफ से जवाब करता है। मेरा नाम...
वल्द..जात..........................पेशा...............................
पता...

<u>II-218</u>
C.J. (H)

गवाह का समन्स

(सिविल प्रोसीजर कोड सन् 1908 आर्डर 16, रूल्स 1 और 5)

दीवानी मुकदमा नम्बर सन् 20

अदालत जनाब ....

....मुद्दई

....मुद्दालेह

बनाम..

क्योकि तुम मुद्दई/मुद्दालेह मजकूर की तरफ से इस अदालत में तारीख................माह...................

सन् 20 को दिन के 11 बजे–

● बतौर गवाह खुद हाजिर होने के लिये

● खुद हाजिर होकर इस समन्स के पीछे लिखा हुआ दस्तावेज कराने के लिये

● इस समन्स के पीछे लिखा हुआ (लिखे हुये) दस्तावेज दाखिल करने के लिये तलब किये गये हो।

तुम्हारे सफर और दीगर खर्च के लिये और एक दिन की खुराक के लिये रूपये................... इस समन्स के साथ भेजे गये है। अगर तुम किसी जायज उजर के सिवाय इस हुक्म की तामील न करोगे तो तुम्हें गैरहाजिरी के वे परिणाम भुगतना पड़ेंगे जोकि सन् 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड के आर्डर 16, रूल्स 12 में लिये गये है। दस्तावेजों की फेहरिस्त पीछे दी गई है।

आज तारीख ....माह...................सन्..........................को अदालत की मुहर से जारी किया गया

(मुहर)

दस्तावेजों की फेहरिस्त **जज**

लागु होने वाले मजमून को निशानी में बताओं.

न्यायालय ....

दा. प्र. कमांक ....
राज्य विरूद्ध...
पेशी दिनांक ....
थाना– ....

प्रारूप संख्या 33

साक्षी को समन

(धारा 61 और 244 देखिए)

प्रेषिती ....

....

(स्थान का) ....नाम
मेरे समक्ष परिवाद दायर किया गया है कि ....
(पता) के ....(अभियुक्त का नाम) ने
....(समय एवं स्थान सहित अपराध थोडें में लिखिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है)और मुझे यह प्रतीत होता है कि संभाव्य है कि आप अभियोजन के लिये तात्विक साक्ष्य दें या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करें।

इसलिये आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त परिवाद के विषया से संबंद्ध आप जो कुछ जानते हो उसका अभिसाक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष तारीख .... को दिन में दस बजे हाजिर हों और न्यायालय की इजाजत के बिना न्यायसंगत कारण के बिना आपने उस तारीख पर हाजिर होने मे उपेक्षा की या उससे इंकार किया तो आपको हाजिर होने को विवश करने के लिए वारन्ट जारी किया जाएगा।

तारीख...

हस्ताक्षर

(न्यायालय की मुद्रा)

WARRANT IN SUPERSESSON OF PREVIOUS WARRANT

(The Code of Criminal Procedure, 1898, Section 395, 423 and 439)

IN THE COURT OF :

TO, THE SUPERINTENDENT OF THE :

WHERE as--Son of ------------------------------------
caste----------------------age-------------------years,address-------------------------------
----
prisoner in the Jail at---was convicted of -- **under Section** **of the** on the --------------day of ---------------20-------------------and was sentenced to --and whereas the Court of --- as on **Appeal/revision** under the Code of Criminal Procedure, Section --directed that **the conviction under ------------------------------------- be----------------------------- and that the sentence--**

You, are hereby informed accordingly, and required to give effect the direction of the Superior Court as aforesaid in supersession of the direction contained in the warrant under which you now hold the prisoner and which you will now return to this Court. When the Warrant has been fully executed, you are to return it to this Court with an endorsement under signature certifying the manner in which the sentence has been executed.

Dated the day of

(Seal) **Magistrate**

कैद की सजा होने पर जेलखाने में भेजने का वारंट
(क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सन् दफा 383)

अदालत जनाब...

बनाम सुपरिन्टेन्डेन्ट, जेल...

जोकि..वल्द..

उमर .... जाति ....यह आदमी मेरे सामने

के जुर्म के जिसकी कि सजा .... में मुकर्रर की गई है, गुनहगार

ठहराया गया है और उसे ....की मियाद के लिये

....कैद और रूपया ....का जुरमाना (और जुरमाना

की रकम उपर कही हुई मियाद के अंदर वसूल न हो तो और ....

की मियाद ....कैद) की सजा हुई है।

इसलिये इस तहरीर के जरिये तुम्हें हुक्म होता है कि मुजरिम मजकूर को इस वारंट के साथ जेलखाने मजकूर में अपनी हिरासत में लेकर वहां उपर लिखी हुई सजा की तामील कानून के अनूसार करो।

अगर जुरमाना मजकूर या उसका कोई हिस्सा बीच में वसूल * या दाखिल हो जाय तो वह कैद की सजा, जोकि जुरमाना अदा न करने की हालत में दी गई हो, इंडियन पीनल कोड की दफा 68 और 69 की तजबीज के मुताबिक खतम हो जायगी। सजा की तामीली पूरी तौर से हो जाने के बाद उसकी तामीली किस तरह की गई, इसकी दस्तखती रिपोर्ट इस वारंट पर लिखकर वारन्ट इस अदालत मे वापिस भेज दो।

आज तारीख ....माह...............सन् 20

अदालत के मुख्य अधिकारी
के पूरे दस्तखत

(मोहर)

---

* जूरमाने की रकम वसूल होने पर खजाने में जमा करनी चाहिये।

क्रिमिनिल प्रोसिजर कोड की दफा 384 के अनुसार
जेलखाने मे भेजने का वारंट की रिपोर्ट का नमुना

JAIL ENDORSEMENTS

Number in District Jail... Number in Central Jail... Name... Sentence... Date of Sentence... Date of Release... ....Jailor ....Jail Transferred to ....Central Jail Remission Earned till the date.............................. equal to ....Months......................Days ....Superintendent ....Jail	मुकदमें के सबूत की बुनियादी पर कैदी का साधारण चाल–चलन (देखो कि सक्यूं. 1–22)	किंस्म गुनहगार वजुहात के साथ बन्दी या दीगार गुनहगार (देखो कि. सक्यूं. 1.32 जिन्हें ताजिन्दगी कालेपानी की सजा हुई तो ऐसे मुलजिमों के बारे में कि सक्यूं. 1–33 भी देखों)	जुर्म का मुख्तसर खुलासा
Received ....Jail on....................... Warrant checked by ....Assistant Jailor Released on .... Remission earned .... Superintendent .... Superintendent of Dated..........200	List of Property (Paragraph 378 of the Jail Manual) Jail		

* Appeal Expiry remission payment of fine

तारीख......................

माह...........................सन् 20

अदालत के मुख्य अधिकारी के
पूरे दस्तखत

V-191
Cr. J. (E.)

ORDER OF PAYMENT

(The Code of Criminal Procedure, 1898 Section 544)

In the Court ....

To the Nazir ....

Name & Profession (1)	Class (Cr. Circular 1-41) (2)	Place of residence and distance thereof from the Court (3)	**Diet Amount**			**Trevelling expenses**			**Total amount payable Column 6 and 9** (10)	Acknowledgment of payment (11)
			No. of days to which payable (4)	Rate at which payable (5)	**Amount** (6)	By Rail (7)	By Road (8)	**Amount** (9)		
		Total...								

Paid in my presence

Date.........................Judge
Magistrate

(Seal)

Date.........................Judge
Magistrate